

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
[भर्ती प्रकोष्ठ]
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[RECRUITMENT CELL]

सं.मि.2-24/2019-स्था. (भर्ती)
No.F.2-24/2019-Estt.(RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
Ansari Nagar, New Delhi-29

दिनांक: 09 OCT 2024

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कनिष्ठ भंडार अधिकारी के पद पर पदोन्नति ।
Subject: Promotion to the post of Junior Stores Officer at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 18.09.2024 को हुई कनिष्ठ भंडार अधिकारी के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की सिफारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्नलिखित स्टोर कीपर को पे मेट्रिक्स के लेवल-06 में कनिष्ठ भंडार अधिकारी के पद पर एन.सी.आई., झज्जर में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee in its meeting held on 18th September 2024 and its acceptance by the Competent Authority, the following Store Keeper is promoted to the post of Junior Stores Officer in the Level-06 of the pay matrix from the date he assume the charge of the post of Junior Stores Officer at NCI Jhajjar.

क्र.सं./ Sr. No.	नाम/ Name	Category	Promoted as a
1.	Sh. Ashok Kumar	Gen.	UR

श्री अशोक कुमार को सलाह दी जाती है की यदि वह 10 दिनों के अंदर एन.सी.आई., झज्जर में कनिष्ठ भंडार अधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण करने में असफल होते हैं तो कनिष्ठ भंडार अधिकारी के पद पर उनकी पदोन्नति को रद्द/वापस माना जाएगा। डी.ओ.पी.टी. के दिशानिर्देशों के द्वारा यदि कोई उम्मीदवार ऐसे मामले में निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नति स्वीकार नहीं करता तो पदोन्नति को अस्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि या अगली रिक्ति आने तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।

Sh. Ashok Kumar is advised to join the post of Junior Stores Officer at NCI Jhajjar, within TEN (10) days failing which the offer of promotion made to him will be treated as cancelled/withdrawn. It is also informed that in terms of DoP&T guidelines, if any candidate refuses to join the new post on promotion within stipulated time period in such cases, he will not be considered for promotion for a period of one year from the date of refusal of such promotion or till a next vacancy arises, whichever is later.

यदि वह उपरोक्त नियमों और शर्तों के अनुसार पद का कार्यभार ग्रहण करता है, तो उनकी वरिष्ठता कनिष्ठ भंडार अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि अर्थात् दिनांक 18.09.2024 से प्रभावी होगी।

In case he assumes charge of the post as per above terms and conditions, his seniority in the post of Junior Stores Officer will be effective from the date of Departmental Promotion Committee i.e. 18.09.2024.

वह कनिष्ठ भंडार अधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से, दिल्ली/नई दिल्ली/ बडसा, झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

He will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar, and NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future, from the date he assume the charge to the post of Junior Stores Officer.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) यदी लागू हो तो, के अंतर्गत पदग्रहण करने की वास्तविक तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्र्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्र्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया हो।

He is advised to exercise his option for fixation of his pay under FR-22(I) if applicable, either from the date of his actual promotion to the post or from the date of drawl of his next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided he has not been granted financial up-gradation under ACP/MACP Scheme.

उनकी सेवाएं वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (गाजियाबाद), एन.सी.आई, बाडसा, झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरणीय हैं। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

His services are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabgarh (Haryana), National drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Badsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. He can be asked to perform duties in shifts also.

उनकी सेवा दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित है जिसमे असफल रहने पर उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी।

He will be on probation for a period of two years. During the period of probation, he will be required to put in satisfactory service failing which his services will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.



कनिष्ठ भंडार अधिकारी के पद पर पदोन्नति की पेशकश एस.एल.पी. (C)न0. 30621/2011, 31288/2017 और अन्य जुड़े मामले के परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित या अन्य संबंधित मामले या किसी अदालत या किसी अन्य निर्देश के परिणाम के अधीन है। या इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. द्वारा कोई अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Junior Stores Officer is subject to outcome of the SLP (C) No. 30621/2011, 31288/2017 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other direction by any court or any other clarification issued by the DoPT in this regards.


[विश्वेश चतुर्वेदी /Vishwesh Chaturvedi]
प्रशासनिक अधिकारी /ADMINISTRATIVE OFFICER

श्री. अशोक कुमार, स्टोर कीपर
Sh. Ashok Kumar, Store Keeper
द्वारा: उनके संबन्धित ऑफिसर इनचार्ज
Through:- Respective Officer-in-Charge

प्रतिलिपि/Copy to:-

- 1) चीफ, डॉ. आर पी सी/Chief, Dr. RPC
- 2) मुख्य अधिकारी, एन.सी.आई. झज्जर/Head, NCI Jhajjar
- 3) चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. आर पी सी/Medical Superintendent, Dr. RPC
- 4) प्रभारी आचार्य, खरीद/The Prof. In-Charge, Procurement
- 5) निदेशक/अपर निदेशक (प्रशा.)/उप सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/व्यक्तिगत सहायक/PPS/PS/PA to Director/ADA/DS/CAO
- 6) भंडार अधिकारी, एन.सी.आई. झज्जर/ Stores Officer, NCI Jhajjar
- 7) सहायक भंडार अधिकारी, डॉ. आर पी सी/Assistant Stores Officer, Dr. RPC
- 8) स्थापना अनुभाग, डॉ. आर पी सी/ एन.सी.आई. झज्जर/Establishment Section, Dr.RPC/NCI Jhajjar
- 9) लेखा अनुभाग-II एवं III/एन.सी.आई. झज्जर/Accounts Section II & III/NCI Jhajjar
- 10) सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग/General Section/Estate Section/Legal Cell/GPF Section
- 11) सतर्कता प्रकोष्ठ/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला प्रकोष्ठ/इ एच एस प्रकोष्ठ/Vigilance Cell/ACR's Cell /SC/ST/OBC/Women Cell/EHS Cell
- 12) संरक्षण मिसिल/Guard File
Professor-in-charge Computer Facility-with the request to upload the same on Institute website